

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अल्लाम जो हुकम की तारीख मे जारी हुए
22/6/23	<p>पञ्चवली पेश हुई। वकील पक्षकारों  उपस्थित। आदिवासी प्रतिवादी  ने कामगार मुकामन से प्रार्थना  पत्र का विरोध करते हुए हुकम  की छि छिली की वकील ने  कामगार मुकामन पेश करने की  अर्थात् - 30 दिवस है, परंतु  प्रस्तुत वाद में 6 वर्ष का  अलाधारण विलम्ब ही जारी  की गये दिनांक 13.12.2016  को ही मुकदमा का कामगार  मुकामन का प्रार्थना पत्र  दिनांक 10/11/2022 को 6 वर्ष  के छि से पेश किया गया  है, इतने अधिक विलम्ब का  कोई लघुचित कारण जारी  आदिवासी द्वारा कामगार मुकामन  से प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं  किया गया है। माननीय  सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने  निर्णय कि अलवैत छिदें वगैर  उपस्थित छिदें other में अनुकूल  की अनुपस्थिति अलाधारण  विलम्ब क्षम्य नहीं होगा  पाएँ। अतः हावा (रवैट  </p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ हुकम की तामील मे
	<p>हो जाने जे इती स्वर पर  स्वयं होने योग्य हो कृषि  वादी ने कृषि वृद्धि के रखा  कि वदिगण जमीन पुस्तक  ने कहे है. प्रमाणित मामिला  ने कहे अवलोकित  कामन मुकाम का प्रार्थना पत्र  मंजूर किया जाना चाहिए।  ने कहे अवलोकित हुनी,  पदावली के संलग्न उल्लेखित  हव प्रार्थना पत्र कथित मुकाम,  प्रवाह तथा प्रत्युत नजीर का  गहनता से अध्ययन किया  जावे ने कामन मुकाम  का प्रार्थना पत्र 6 वर्ष के  असाधारण विलम्ब से पेश  किया गया है जो कि  विधि द्वारा प्राप्त नहीं है।  इतने लम्बे पड़ने से कृषि  धुरत ने काम नहीं किया  जा सकता लिहाजा परिवर्तित  वकी ने सहमत होकर  जमीन उच्चतर मामिला  की नजीर के प्रमाण पर</p>	

५

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वरसा होने से इटावा अधीन  
 जिले जाने योग्य होने से  
 अधीन जिला जाता है  
 सिविल सर्वे इफलास  
 पदचर हुनाथा गया । पत्रावली  
 नम्बर से कम होकर दाखिल  
 दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 इटावा जिला कोटा